

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-526 / 2014
संस्थित दिनांक- 16.09.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. संजम पुत्र भगवान सिंह यादव उम्र 42 साल
2. जेलसिंह पुत्र भगवान सिंह यादव उम्र 32 साल
3. गीताबाई पत्नी भगवान सिंह यादव उम्र 62 साल

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 19.04.2018 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34 तीन शीर्ष 341, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 26.06.2014 को दिन के 04:30 बजे की फरियादी बाखर के बाहर ग्राम बरौदिया थाना चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी गणेशराम यादव को मां बहिन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी गणेशराम, सरोजबाई, कुसुमबाई को मारपीट का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में उनके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं फरियादी गणेशराम का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-26.06.2014 को दिन के करीबन 04:30 बजे गणेशराम अपनी बाखर में धान सुखा रहा था, गणेशराम अपने द्वार पर पटियाओं पर चिनकारी रखने के लिये लेने गया तो उसी समय गांव का संजम यादव व जेल सिंह यादव दोनों आये और बोले कि चिनकारी देने बाप की है, जो उठा रहा है और मां बहन की गालिया देने लगे, गालियां देने से मना किया। गणेशराम ने कहा कि गालिया क्यों दे रहे हो, इसी बात पर दोनों गणेशराम से चेट गये, संजम सिंह ने लाठी मारी जो सिर में लगी, मुंदी चोट आई, जिससे गणेशराम नीचे गिर गया। गणेशराम आवाज सुनकर कुसुमबाई आई व पत्नी सरोज बाई बचाने आई, तो संजम सिंह ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे वह गिर गई उसके सिर के सामने चोट आई। मीराबाई ने कुसुमबाई की थप्पड घूसों से मारपीट की, जिससे सिर में पीछे तरफ मुंदी चोट आई। आवाज सुनकर गांव के ही बुद्धमान सिंह व जहार सिंह आ गये, जिन्होंने घटना देखी और बचाया, रिपोर्ट करने के लिये जाने लगे तो तीनों लोगों ने रास्ता रोककर बोले कि पुलिस में रिपोर्ट की, तो जान से खत्म कर देंगे।
- 03:-फरियादी गणेशराम द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध

क्रमांक 268 / 2014 अंतर्गत धारा- 324, 323, 294, 341, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 26.06.2014 को दिन के 04:30 बजे की फरियादी बाखर के बाहर ग्राम बरौदिया थाना चंदेरी में फरियादी गणेशराम को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी संजम व जेल सिंह ने ने फरियादी गणेशराम को लाठी स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आहत सरोजबाई व कुसुमबाई उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में संजम ने सरोज बाई को धक्का देकर व आरोपी गीताबाई ने आहत कुसुमबाई की थप्पड व लातघूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व सार्वजनिक स्थान पर फरियादी गणेशराम यादव को मां बहिन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
4.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गणेशराम का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
5.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गणेशराम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
6.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06:- फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 26.06.2014 को शाम 04:30 बजे वह अपनी बाखर में पत्थर और पटियां रख रहा था, तो उसी समय अभियुक्त संजम वहां लाठी लेकर आया और उसे एक लाठी सिर में मारी जिससे उसके सिर में खून निकल आया तथा अभियुक्त जैल सिंह ने आकर उसकी पीठ में एक लाठी मारी थी, जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के अनुसार मौके पर उसकी चाची कुसुम बाई भी आ गई थी, जो कि 30-40 फीट की दूरी पर नल से पानी भर रही थी तथा घटना में बीच बचाव बुद्धभान (अ0सा0-05) व जहार सिंह (अ0सा0-06) ने किया था।
- 07:- गणेशराम (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये, उपरोक्त न्यायालीन कथनों का समर्थन करते हुये कुसुम बाई (अ0सा0-02) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि गणेशराम अपनी बाखर में पटियां चढ़ाने के लिये उठाकर रख रहा था, तो इसी बात पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट कर दी थी। कुसुमबाई (अ0सा0-02) ने भी गणेशराम (अ0सा0-01) के कथनों की पुष्टि करते हुये घटना दो साल पूर्व की होकर शाम 04:00 की होना बताया है तथा इस साक्षी के अनुसार घटना के समय वह नल से पानी भर रही थी, तो गणेशराम के घर से हल्ला सुनकर वह उसके घर पर आई थी, तो उसने फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) व आरोपीगण के मध्य झगडा होते हुये देखा था और उस झगडे में अभियुक्त संजम सिंह ने गणेशराम के सिर में एक डंडा मारा था, वहीं दूसरा डंडा गणेशराम की कमर में मारा था।
- 08:- फरियादी की पत्नी सरोजबाई (अ0सा0-03) ने भी अपने न्यायालीन कथनों की इस बात की पुष्टि की है, कि घटना तीन साल पूर्व की शाम 04:00 बजे की है तथा विवाद चनकारी उठाने पर से हुआ था। इस साक्षी ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि आरोपीगण लाठियां लेकर आये थे और उसके पति से चैट गये थे और लाठी से पति की मारपीट कर दी थी, जिससे उसके पति के सिर में चोट आई थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बुद्धभान सिंह (अ0सा0-05) व जहार सिंह (अ0सा0-06) ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है, पर इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि कथन देने के तीन साल पहले शाम 04:00 बजे इन दोनों ही साक्षियों ने फरियादी व अभियुक्तगण के बीच विवाद होते हुये देखा था।
- 09:- बुद्धभान सिंह (अ0सा0-05) ने अपने कथनों में फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के न्यायालीन कथनों की पुष्टि करते हुये विवाद का कारण फरियादी का अभियुक्तगण के बीच मकानों के बीच बने दीवार गिर जाने पर से झगडा होना बताया है तथा इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि इस घटना में पहले फरियादी ने संजम को चाटा मारा था और उसके बाद संजम लाठी लेकर आया था और गणेशराम के सिर में लाठी मार दी थी।

इस साक्षी ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि जैल सिंह ने कुछ नहीं किया था, परन्तु जैल सिंह की घटना स्थल पर उपस्थिति एवं फरियादी से विवाद करने पर इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट कथन दिये हैं।

- 10:- जहार सिंह (अ0सा0-06) का अपने कथनों में यह तो कहना है कि उसने फरियादी और अभियुक्तगण के बीच विवाद होते हुये देखा था, जिसके बाद वह अपने खेत पर चला गया था तथा उसके बाद घटना की उसे जानकारी नहीं है, परन्तु पक्ष विरोधी किये जाने के बाद इस साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर समर्थन किया है कि उसने गणेशराम के सिर में चोट देखी थी, जो गणेशराम ने उसे बताया था कि उसे आरोपी संजम व जैल सिंह ने उसके साथ मारपीट की है।
- 11:- घटना दिनांक को चनकारी उठाने अथवा पत्थर रखने को लेकर फरियादी व अभियुक्तगण के मध्य विवाद हुआ था, इस संबंध में फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) सहित सभी अभियोजन साक्षियों के कथन अभियोजन घटना का समर्थन करते हैं तथा उनके कथनों में इस संबंध में कोई विरोधाभास न होने से उनकी साक्ष्य अखण्डित है। बचाव पक्ष के द्वारा भी गणेशराम (अ0सा0-01) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-02 में स्वयं यह सुझाव दिया गया है कि फरियादी जब छान-छप्पर कर रहा था, तो उसी समय अभियुक्त संजम व जैल सिंह ने आकर गालिया दी थी व लाठी से मारपीट की थी, जिसे फरियादी ने स्वीकार किया है। सरोजबाई (अ0सा0-03) की प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में भी स्वयं बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव पर इस साक्षी ने सहमति दी है कि विवाद चनकारी उठाने पर पर हुआ था। बुद्धभान (अ0सा0-05) के प्रतिपरीक्षण में स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा सुझाव के माध्यम से दोनों पक्षों के द्वारा घटना दिनांक को झगडा होना स्वीकार किया गया है तथा उक्त झगडे में फरियादी को चोट आना भी स्वीकार किया गया है।
- 12:- अतः बचाव पक्ष के द्वारा अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त सुझाव स्वतः फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 में उल्लेखित घटना की पुष्टि करते हैं कि घटना दिनांक व समय शाम 04:00 बजे के लगभग फरियादी व अभियुक्तगण के मध्य चनकारी उठाने पर से विवाद हुआ था, जिसमें फरियादी को उपहति कारित हुई थी। फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना का समर्थन करते हुये इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक को चनकारी उठाने के विवाद पर से अभियुक्त संजम सिंह ने उसके सिर पर लाठी मारी थी तथा जेल सिंह ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी।
- 13:- अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर आर. पी. शर्मा (अ0सा0-04) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिसमें डॉक्टर आर. पी. शर्मा (अ0सा0-04) ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 26.05.2014 को उनके द्वारा फरियादी

गणेशराम (अ0सा0-01) को पुलिस थाना चंदेरी के सैनिक केदार शर्मा के लाये जाने पर चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें उन्होंने फरियादी के सिर में एक खड़ा फटा हुआ घाव 02 गुणित 0.5 गुणित से.मी. हड्डी की गहराई तक का पाया था, जिसे साफ करने पर खून निकल रहा था। डॉक्टर आर. पी. शर्मा (अ0सा0-04) के अनुसार उक्त चोट परीक्षण के 12 घण्टे के अंदर की थी, जिसके संबंध में प्रदर्श पी-02 का प्रतिवेदन उनके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

- 14:- डॉक्टर आर.पी. शर्मा (अ0सा0-05) के न्यायालीन कथनों में परीक्षण का दिनांक 26.05. 2014 बताया है, जबकि प्रदर्श पी-02 पर हस्ताक्षरों के नीचे दिनांक 26.06.2014 अंकित है एवं रिपोर्ट में ही परीक्षण का समय 06:10 व दिनांक 26.06.2014 अंकित है, जिससे उपरोक्त संबंध में डॉक्टर आर.पी. शर्मा (अ0सा0-05) के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है, परन्तु उक्त विरोधाभास मात्र मानवीय भूल के कारण हुआ है, जो कि तात्विक स्वरूप का नहीं है। दिनांक 26.06.2014 को शाम 06:10 बजे डॉक्टर आर.पी. शर्मा (अ0सा0-04) के द्वारा फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और चिकित्सीय परीक्षण में सिर पर फटा हुआ घाव पाया गया, इस संबंध में डॉक्टर आर0पी0 शर्मा (अ0सा0-04) की मौखिक साक्ष्य एवं तैयार किये गये प्रतिवेदन प्रदर्श पी-02 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
- 15:- अतः डॉक्टर आर0पी0 शर्मा (अ0सा0-04) की चिकित्सीय साक्ष्य से भी फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन को बल मिलता है कि घटना में अभियुक्त संजम सिंह की लाठी से उसे सिर में चोट आई थी, जिसकी पुष्टि अन्य अभियोजन साक्षियों के द्वारा भी की गई है तथा घटना के तुरन्त बाद किये गये चिकित्सीय परीक्षण में सिर की चोट की पुष्टि डॉक्टर आर0पी0 शर्मा (अ0सा0-04) के द्वारा की गई है, जो कि परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की आने का अभिमत दिया गया है।
- 16:- फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथन की चनकारी उठाने के विवाद पर से अभियुक्त संजम सिंह ने उसके सिर में लाठी मार दी थी, वही जैल सिंह ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी। उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं तथा फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 से भी होती है। कुसुमबाई (अ0सा0-02), सरोजबाई (अ0सा0-03) बुद्धभान सिंह (अ0सा0-05) के न्यायालीन कथनों में हालांकि अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया गया है, परन्तु इन साक्षियों के द्वारा गणेशराम (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की इस संबंध में पुष्टि की गई है कि चनकारी पत्थर उठाने व रखने पर से अभियुक्त संजम व जैलसिंह ने मौके पर फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) से घटना दिनांक को विवाद किया था, और उक्त विवाद में फरियादी के सिर में अभियुक्त संजम के द्वारा लाठी के प्रहार से उपहति कारित की गई थी। घटना के बाद डॉक्टर आर0पी0 शर्मा (अ0सा0-04) के द्वारा फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के चिकित्सीय परीक्षण में

सिर पर फटा हुआ घाव जाने की पुष्टि की गई है।

- 17:- परिणामस्वरूप अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर जो कि पूरी तरह से विश्वसनीय है, से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को शाम 04:00 बजे चनकारी व पत्थर उठाने के विवाद पर से अभियुक्तगण ने फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के साथ विवाद किया था और उक्त विवाद में और उक्त विवाद में अभियुक्त संजम व जैलसिंह ने फरियादी गणेशराम को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के साथ लाठी से मारपीट कर उसे सिर में व पीठ में स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 18:- अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में दो अन्य आहत फरियादी पत्नी सरोजबाई (अ0सा0-03) व कुसुमबाई (अ0सा0-02) भी हैं, जिनके साथ भी मारपीट करने के आरोप अभियुक्तगण पर हैं, पर इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक को डॉक्टर आर. पी. शर्मा (अ0सा0-04) के द्वारा सरोजबाई (अ0सा0-03) व कुसुमबाई (अ0सा0-02) का भी चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें स्वयं डॉक्टर आर. पी. शर्मा (अ0सा0-04) के अनुसार उन्होंने सरोजबाई (अ0सा0-03) व कुसुमबाई (अ0सा0-02) के शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं पाई थी। घटना में सरोजबाई (अ0सा0-03) व कुसुमबाई (अ0सा0-02) के साथ वास्तव में मारपीट कर उपहति कारित की गई व किस अभियुक्त ने मारपीट की, इस संबंध में फरियादी सहित सरोजबाई (अ0सा0-03) व कुसुमबाई (अ0सा0-02) के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है।
- 19:- सरोजबाई (अ0सा0-03) फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) की पत्नी है, जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार मौके पर उपस्थित थी तथा उसके साथ अभियुक्त संजम ने धक्का-मुक्की की थी, परन्तु फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये है कि वास्तव में घटना के समय उसकी पत्नी मौके पर थी तथा अभियुक्त में से किसी ने उसकी पत्नी के साथ धक्का-मुक्की कर उसे उपहति कारित की। यहां तक कि गणेशराम (अ0सा0-01) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-02 में यह कहता है कि जिस समय वह छप्पर कर रहा था, उस समय वह अकेला था तथा उसकी चाची कुसुमबाई (अ0सा0-02) नल से पानी भर रही थी। अतः गणेशराम (अ0सा0-01) के कथनों के अनुसार सरोजबाई (अ0सा0-03) न तो मौके पर थी और न ही उसके साथ कोई मारपीट हुई।
- 20:- बुद्धभान (अ0सा0-05) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में मात्र संजम के द्वारा गणेशराम (अ0सा0-01) के साथ मारपीट कर उपहति कारित करने के संबंध में कथन दिये हैं तथा इस साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त संजम ने सरोजबाई (अ0सा0-03) को धक्का मार कर गिरा दिया था तथा अभियुक्त गीताबाई ने कुसुमबाई (अ0सा0-02) के साथ थप्पड़ों से मारपीट की थी। बुद्धभान

(अ0सा0-05) का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई तथा इस साक्षी के अनुसार गीताबाई मौके पर थी ही नहीं। जहार सिंह (अ0सा0-06) मौके पर कुसुमबाई व सरोज को उपस्थित होना बताता है, परन्तु उनके साथ मारपीट की घटना की जानकारी होने से ही यह साक्षी इन्कार करता है।

21:- स्वयं कुसुमबाई (अ0सा0-02) व सरोज बाई (अ0सा0-03) के कथन घटना में उन्हें आई उपहति किसके द्वारा कारित की गई इस संबंध में विरोधाभास युक्त है। कुसुमबाई (अ0सा0-02) का अपने कथनों में कही भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त गीताबाई ने उसके साथ थप्पड़ों से मारपीट की थी व अभियुक्त संजम ने सरोजबाई को धक्का दिया। यह साक्षी स्वयं गीताबाई के द्वारा धक्का देना बताती है। वहीं सरोज के साथ किसी ने कोई मारपीट की, इस संबंध में इस साक्षी के कथन मौन है। सरोज बाई (अ0सा0-03) का अपने कथनों में कही भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त संजम ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था, बल्कि इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में बढा-चढा कर कथन देने हुये स्वयं के साथ पहले आरोपीगण का विवाद होना बताया है तथा शरीर में कई जगह आरोपीगण की मारपीट से चोटें आना बताया है, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त संजम के धक्का देने के अलावा इस साक्षी के साथ अन्य कोई घटना कारित नहीं हुई।

22:-जहां तक कुसुम बाई (अ0सा0-02) को अभियुक्तगण के द्वारा उपहति कारित करने की घटना का प्रश्न है, तो इस संबंध में फरियादी गणेशराम (अ0सा0-01) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में विरोधाभासी कथन देते हुये अभियोजन कहानी के विपरीत गीताबाई के द्वारा धक्का मार कर गिराये जाने के संबंध में कथन दिये गये हैं, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार गीताबाई ने कुसुमबाई (अ0सा0-02) के साथ थप्पड़ों से मारपीट की। स्वयं कुसुमबाई (अ0सा0-02) का भी यह कहीं भी कहना नहीं है कि गीताबाई ने उसके साथ थप्पड़ों से मारपीट की थी। वहीं सरोजबाई (अ0सा0-03) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन उपरोक्त विवेचन के अनुसार स्वयं व कुसुमबाई (अ0सा0-02) की मारपीट के संबंध में दिये गये कथन अभियोजन घटना से विपरीत होकर अतिशयोक्तिपूर्ण होने से विश्वसनीय है। घटना के स्वतंत्र साक्षी बुद्धभान सिंह (अ0सा0-05) व जहार सिंह (अ0सा0-06) के द्वारा भी घटना स्थल पर गीताबाई की उपस्थिति व कुसुमबाई (अ0सा0-02) व सरोज बाई (अ0सा0-03) की अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट की घटना का खण्डन किया गया है तथा बुद्धभान (अ0सा0-05) का स्पष्ट कहना है कि गीताबाई मौके पर मौजूद नहीं थी।

23:- अतः स्वयं गणेशराम (अ0सा0-01), कुसुमबाई (अ0सा0-02), बुद्धभान (अ0सा0-05) व जहार सिंह (अ0सा0-06) के द्वारा अभियोजन पर इस बात का लेशमात्र भी समर्थन करने से कि घटना में सरोजबाई के साथ आरोपीगण या उनमें से किसी ने मारपीट कर उसे उपहति कारित की तथा कुसुमबाई (अ0सा0-02) को किस अभियुक्त ने किस चीज से मारा, इस संबंध में कुसुमबाई सहित गणेशराम (अ0सा0-01) व सरोज बाई (अ0सा0-03)

के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है। वहीं डॉक्टर आर०पी० शर्मा (अ०सा०-04) चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि घटना में कुसुमबाई (अ०सा०-02), सरोज बाई (अ०सा०-03) के शरीर पर कोई चोटों के निशान चिकित्सीय परीक्षण में नहीं पाये। सरोज बाई (अ०सा०-03) के स्वयं के कथनों में कई अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हैं तथा उसके कथनों में स्वयं के साथ हुई मारपीट के संबंध में गंभीर विरोधाभास की स्थिति है, जिससे अभिलेख पर इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो सके कि घटना में कुसुम बाई (अ०सा०-02) व सरोज बाई (अ०सा०-03) के साथ भी अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व उक्त घटना में गीताबाई भी अभियुक्त संजम व जैल सिंह के साथ शामिल थीं। अतः गीताबाई के द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर कोई घटना कारित की गई, इस पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। वही अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने कुसुमबाई (अ०सा०-02) व सरोज बाई (अ०सा०-03) के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03, 04, 05 व 06 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 24:- फरियादी गणेशराम (अ०सा०-01) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि जब वह अपने बाखर में पत्थर और पटियां रख रहा था तो उसकी संजम सिंह आया और उसे मादरचोद और बहनचोद की गालिया दी। इस साक्षी के अलावा अभियोजन साक्षी कुसुमबाई (अ०सा०-02), बुद्धभान (अ०सा०-05), जहार सिंह (अ०सा०-06) ने इस बाबत इस कोई कथन नहीं दिये हैं कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादी के द्वारा कथित उपरोक्त अश्लील शब्द उच्चारित किये थे। सरोज बाई (अ०सा०-03) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को गालियां दी थी, परन्तु अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के बाद इस साक्षी का यह कहना है कि अभियुक्त संजम व जैल सिंह ने उसके पति व सब लोगों को गालिया दी थीं।
- 25:- सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि गणेशराम (अ०सा०-01) व सरोजबाई (अ०सा०-03) ने यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने किस स्थान पर आकर अश्लील गालिया दी थी तथा वास्तव में उन्हें उच्चारित किये गये शब्दों से क्षोभ कारित हुआ अथवा नहीं। सरोज बाई (अ०सा०-03) का कहना है कि आरोपीगण उसकी बाखर में आ गये थे और यदि बाखर में उक्त शब्द उच्चारित किये तो उक्त स्थान लोक स्थान की श्रेणी में नहीं आता है। अश्लील शब्द उच्चारित करने का स्थान लोक स्थान या उसके आसपास का स्थान था एवं वास्तव में उच्चारित शब्दों से किसी को कोई क्षोभ कारित हुआ, इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बुद्धभान (अ०सा०-05) व जहार सिंह (अ०सा०-06) का अपने कथनों में कहना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को गालिया दे रहे थे। बुद्धभान (अ०सा०-05) के प्रतिपरीक्षण में स्वयं बचाव पक्ष की ओर

से यह सुझाव दिया गया है कि आरोपीगण व फरियादी एक दूसरे को कभी भी गालियां देते रहते हैं।

- 26:— ग्रामीण परिवेश के लोगों में वाद विवाद पर अश्लील शब्दों का उच्चारण एक आम बात होती है तथा ग्रामीण परिस्थितियों में आवेश में या गुस्से में जब कभी कोई अश्लील शब्द उच्चारित किये जाते हैं, तो वह आम बोल-चाल का हिस्सा होते हैं, जिसका आशय क्षोभ कारित करना नहीं होता है, ऐसे शब्दों का उच्चारण यदि दोनों पक्षों के द्वारा अपने परिवार व महिलाओं के समक्ष किया जा रहा था, तो उससे यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे शब्दों का उच्चारण यदि अभियुक्त के द्वारा किये गये, तो उससे किसी को क्षोभ कारित हुआ हो। अतः उच्चारित किये गये शब्दों का स्थान या उसके आसपास का स्थान प्रमाणित न होने से एवं घटना में किसी को क्षोभ कारित हुआ यह प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294 के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।
- 27:— फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने इस आशय के कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं कि अभियुक्तगण ने घटना के पूर्व या पश्चात् उन्हें किसी विशेष दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया। गणेशराम (अ0सा0-01) का हालांकि अपने कथनों में कहना है कि घटना के बाद जब वह चौकी पर रिपोर्ट करने जा रहा था, तो अभियुक्त संजम व जैलसिंह ने उससे कहा था कि रिपोर्ट करने गये, तो जान से मार देंगे, परन्तु इसके पश्चात् भी घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 घटना के तुरन्त बाद ही पुलिस थाना चंदेरी में 05:10 बजे फरियादी के द्वारा लेख कराई गई, यदि वास्तव में अभियुक्तगण के द्वारा कोई धमकी दी गई होती, तो मौके पर उपस्थित या रिपोर्ट करने गये अन्य साक्षी भी इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में कथन अवश्य देते।
- 28:— कुसुम बाई (अ0सा0-02) का अपने कथनों में कहना है कि आरोपीगण को मारपीट की घटना के अलावा उसने और कोई बातचीत करते हुये नहीं सुना था। सरोज बाई (अ0सा0-03) पक्षविरोधी होने के बाद यह अवश्य कहती है कि रिपोर्ट करने जब वह लोग जा रहे थे, तो आरोपीगण ने रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी थी, परन्तु इसी साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में यह कहना है कि अभियुक्तगण ने मरा समक्ष कर वहां से भाग गये थे। यह साक्षी थाने पर जाते समय आरोपगण के द्वारा रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी देना बताती है, जबकि प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-04 में दिये गये कथनों के अनुसार इसी साक्षी का कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि वह थाने गई थी या नहीं।
- 29:— अतः कुसुमबाई (अ0सा0-02) के कथन इस संबंध में लेषमात्र भी विश्वसनीय नहीं है कि अभियुक्तगण ने रिपोर्ट करने जाते समय फरियादी का रास्ता रोककर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बुद्धभान (अ0सा0-05) एवं जहार सिंह (अ0सा0-06) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने फरियादी का रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी थी। अतः गणेशराम

(अ0सा0—01) के कथनों का अन्य अभियोजन साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव ने अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी अथवा नहीं। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी तो घटना के तत्काल बाद दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट यह दर्शित करती है कि अभियुक्तगण के द्वारा उच्चारित किये गये शब्द मात्र शाब्दिक धौंस रहे होंगे, जिनका आशय संत्राष कारित करने का कतई नहीं रहा। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया, यह अभिलेख पर साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

- 30:— बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में राजकुमार (ब0सा0—01) व स्वयं अभियुक्त जेल सिंह (ब0सा0—02) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं तथा घटना दिनांक को राजकुमार के द्वारा अभियोजन घटना के आसपास ही दर्ज कराई गई अदम चैक रिपोर्ट प्रदर्श डी 01 सी व उक्त प्रकरण में आहत राजकुमार व गीताबाई के चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श डी 02 सी एवं 03 सी एवं अभियुक्त जेल सिंह के द्वारा दिनांक 25.10.2016 के घटना के संबंध में दर्ज कराया गया, अदम चैक प्रदर्श डी 04 प्रदर्शित कराकर अपने समर्थन में प्रस्तुत किया है। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से डॉक्टर आर. पी. शर्मा (अ0सा0—04) का भी अपने समर्थन में अतिरिक्त परीक्षण किया गया है, जिसमें डॉक्टर आर. पी. शर्मा ने घटना दिनांक को ही अभियुक्त गीताबाई व आहत राजकुमार का चिकित्सीय परीक्षण करना एवं उक्त परीक्षण में उनके शरीर पर चोट पाये जाने की पुष्टि की है।
- 31:— बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तो स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण की घटना दिनांक को फरियादी गणेशराज के विरुद्ध राजकुमार के द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई व राजकुमार व गीताबाई का चिकित्सीय परीक्षण भी हुआ था, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यवाही के आधार पर इस प्रकरण में दर्ज कराई गई रिपोर्ट व अभिलेख पर आई साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकरण उसमें आई साक्ष्य व उसके गुणदोष के आधार पर निराकृत किया जाना ही न्यायसंगत है, मात्र घटना दिनांक को विरोधी पक्ष के द्वारा फरियादी की रिपोर्ट करने मात्र से इस घटना को असत्य नहीं माना जा सकता है।
- 32:— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक नरेश (अ0सा0—07) के द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई है, जिसमें निश्चित रूप से अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा घटना में प्रयुक्त लाठी अभियुक्तगण से जप्त नहीं की है तथा गीताबाई की गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक त्रुटि अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई है, परन्तु जहां मौखिक साक्ष्य स्पष्ट एवं विश्वसनीय हो, वहां अनुसंधान की कमी या त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त संजम व जेल सिंह ने चनकारी के विवाद पर से फरियादी गणेशराम के साथ लाठियों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की, इस आशय की विश्वसनीय एवं संदेह रहित साक्ष्य अभिलेख पर हैं, जिस पर

अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

- 33:— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्त संजम सिंह व जैल सिंह ने दिनांक 26.06.2014 को दिन के 04:30 बजे की फरियादी बाखर के बाहर ग्राम बरौदिया थाना चंदेरी में फरियादी गणेशराम को मारपीट का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में उनके साथ लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया।
- 34:— अभियोजन उपरोक्त विवेचन के आधार पर घटना में अभियुक्त गीता बाई की उपस्थिति व संलिप्तता साबित करने में सफल नहीं हुआ है तथा अभियोजन यह भी संदेह से परे यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में कुसुमबाई व सरोज बाई के साथ में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व लोक स्थान पर फरियादी व अन्य को अश्लील गालियां उच्चारित कर फरियादी व अन्य को क्षोभ कारित किया। अभियोजन यह भी साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने घटना में फरियादी को किसी विशिष्ट दिशा में जाने से रोककर उसे सदोश अवरोध कारित करते हुये संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 35:— फलतः अभियुक्तगण संजम पुत्र भगवान सिंह यादव, जेलसिंह पुत्र भगवान सिंह यादव, गीताबाई पत्नी भगवान सिंह यादव के विरुद्ध लगे आरोप अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा.द.वि. की धारा 341, 294, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त गीताबाई पत्नी भगवान सिंह यादव के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 323/34 (तीन शीर्ष) के कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त गीताबाई पत्नी भगवान सिंह यादव को भा.द.वि. की धारा 323/34 (तीन शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियोजन घटना के अनुसार आहत सरोज बाई एवं कुसुम बाई को कारित हुई उपहति के आरोप भी अभियुक्तगण संजम पुत्र भगवान सिंह यादव, जेलसिंह पुत्र भगवान सिंह यादव के विरुद्ध प्रमाणित न होने से उन्हें भा.द.वि. की धारा 323/34 (दो शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध से दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण संजम पुत्र भगवान सिंह यादव, जेलसिंह पुत्र भगवान सिंह यादव के विरुद्ध फरियादी गणेशराम को स्वेच्छया उपहति कारित करने के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा.द.वि. की धारा 323/34 (एक शीर्ष) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 36:—अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं

होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

37:— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अतः प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित कर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

38:— अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण संजम पुत्र भगवान सिंह यादव, जेलसिंह पुत्र भगवान सिंह यादव को भा0दं0वि0 की धारा 323/34 के अपराध का दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000/— रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

39:—अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)